

पत्र सं०-मु०व्या०दु०बी०यो०// 285 //राज्य कर// दिनांक-08 अक्टूबर, 2026

कार्यालय-अपर आयुक्त, राज्य कर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

//कार्यालय आदेश//

राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व्यापारी श्री दीपक निगम पुत्र श्री विनय कुमार निगम (GSTIN:09CJKN0761J1ZU) निवासी-अहिराना, औरास, उन्नाव की दिनांक 19-06-2025 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मृतक व्यापारी के विधिक वारिस / दावेदार द्वारा राज्य कर विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत किया गया है।

अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर कानपुर जोन-1 कानपुर की संसुति, पुलिस/रिपोर्ट एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा विधिक वारिस संबंधी अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त मृतक व्यापारी के विधिक वारिस / दावेदार का दावा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र पाया गया है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बीमा राशि ₹0-1000000/- (रुपये दस लाख मात्र) मृतक व्यापारी की विधिक वारिस श्री विनय कुमार निगम (सम्बन्ध: पिता) को भुगतान करने की स्वीकृति आयुक्त, राज्य कर महोदय द्वारा प्रदान की गई है।

अतः स्वीकृत बीमा राशि का भुगतान दावेदार के बैंक खाते (खाता सं०-22770000100027091), बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, IFSC: PUNB0227700 में सीधे (DBT /RTGS) किया जाए। यह व्यय सम्बन्धित लेखा शीर्षक वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान सं०-89 के लेखाशीर्षक-2040-विक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-उ०प्र० पंजीकृत व्यापारियों के लिए जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जाएगा।

(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्र०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर कानपुर जोन-1 कानपुर को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर कानपुर सम्भाग-ए कानपुर को सूचनार्थ।
3. मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ। /
4. संयुक्त आयुक्त (आईटीओ) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी राज्य कर मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरण में प्राप्त बैंक डिटेल की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

Digitally signed by
DHANANJAY SHUKLA
Date: 07-10-2026
18:16:46

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5091
श्रीमती. पुष्पिमा
वृत्तिका आयुक्त, कार्यवाही करें।

उपायुक्त (आईटीओ) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक 08-10-26